यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, पिथौरागढ** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, पिथौरागढ** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.2019 से 28.03.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2017 से 06.12.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह -09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय द्वारा व्यापारियों का कर निर्धारण व GST सम्बन्धी कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है रू

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	733.93
2016-17	2256.49
2017-18	1371.67

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-							
2016-17	-			शून्य				
2017-18	-							

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** मुख्यालय से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, पिथौरागढ** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, पिथौरागढ** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह .... को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह (इकाई द्वारा डी.डी.ओ. कार्य नही किया जाता) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: लागू नहीं

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 1: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.05 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 के नियम-11 के अनुसार यदि किसी व्यौहारी का पिछले वित्तीय वर्ष में टर्न-ओवर ₹ 50.00 लाख से अधिक है तो अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनाँक 26.03.2014 के अनुसार व्यौहारी को अपना कर अगले माह की 20 तारीख तक ई-पेमेंट के माध्यम से जमा करना होगा। यदि व्योहारी ऐसा करने में विफल रहता है तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा-58(VII) के अनुसार देयकर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर दस हजार से अधिक हो, दायी होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा कराया गया था जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था:

व्यापारी का नाम (सर्वश्री)	कर निर्धारण वर्ष/तिथि	माह	देय कर (₹ में)	नियमानुसार कर देय तिथि	कर जमा करने की तिथि	अर्थदण्ड (₹ में)
राम रतनलाल एंड कंपनी, टनकपुर	2014-15/ 11.01.2018	07/2014	203688	20.08.14	21.08.14	20369
		09/2014	2255	20.10.14	21.10.14	226
		10/2014	180106	20.10.14	25.11.14	18011
		11/2014	136915	20.12.14	23.12.14	13692
		03/2015	20188	20.04.15	30.09.15	2019
		11/2014	8693	20.12.14	23.12.14	869
शिव इंडस्ट्रीज, बनबसा	2014-15/ 29.01.2018	05/2014	126830	20.06.14	23.06.14	12683
		05/2014	984	20.06.14	23.06.14	98
		07/2014	79265	20.08.14	27.08.14	7927
		09/2014	11753	20.10.14	28.10.14	5876
टनकपुर जल बिद्धुत परियोजना, बनबसा	2014-15/ 29.01.2018	04/2014	727832	20.05.14	31.05.14	363916
		04/2014	612	20.05.14	31.05.14	61
जी॰ सन्स, टनकपुर	2014-15/ 29.01.2018	06/2014	74835	20.07.14	23.07.14	37417
		08/2014	53700	20.09.14	22.09.14	7484
		10/2014	47000	20.11.14	26.11.14	4700

अग्रवाल राइस एंड फ्लोर मिल, टनकपुर	2014-15/ 29.01.2018	05/2014	88049	20.06.14	26.06.14	8805
अन्नपूर्णा ट्रेडर्स, टनकपुर	2015-16/ 27.01.2018	04/2015	65000	20.05.15	25.05.15	3250
		05/2015	33000	20.06.15	22.06.15	1650
		06/2015	10200	20.07.15	23.07.15	510
		08/2015	85000	20.09.15	24.09.14	4250
		08/2015	10200	20.09.15	07.10.15	510
		11/2015	39420	20.12.15	21.12.15	1971
		12/2015	10200	20.01.16	15.02.16	510
		01/2016	70000	20.02.16	22.02.16	3500
		01/2016	10200	20.02.16	08.03.16	510
वेदांता हेर्ब्स, टनकपुर	2014-15/29.01.2018	09/2014	17472	20.10.14	22.10.14	1747
		06/2014	13743	20.07.14	23.07.14	1374
		09/2014	37523	20.10.14	22.10.14	3752
		11/2014	29621	20.12.14	24.12.14	2962
		01/2015	22309	20.02.15	23.02.16	2231
योग						**2,04,999/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि net work नहीं होने/slow होने के कारण tax समय से जमा नहीं हो पाया है। उक्त सभी मामलों/ अधिकांशतः में कर न जमा करने की अवधि 10 दिन से कम है। व्यापारियों द्वारा अगर किसी Mis Reg के तहत कर समय से जमा नहीं है तो इसकी जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर विलम्ब से जमा कराये जाने हेतु कोई अतिरिक्त समय व्यापारियों द्वारा नहीं माँगा गया था एवं नियमानुसार कर समय से जमा नहीं कराया गया था।

अतः धनराशि ₹ **2,04,999/-** के अर्थदण्ड के अनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर-1: **कर का अनारोपण ₹ 4.27 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

अधिनियम की धारा 6(15)(ग) के अनुसार क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, विक्रेता व्यौहारी द्वारा क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र (credit note) जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा विक्रेता व्यौहारी को एक नाम-पत्र (debit note) जारी किया जायेगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क॰नि॰), पिथौरागढ़ की नमूना लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य संज्ञान में आए:

(i) फर्म का नाम: सर्वश्री राय कम्यूनिकेशन, लोहाघाट
कर-निर्धारण वर्ष: 2013-14
कर निर्धारण तिथि: 05.06.2017

उपरोक्त कर निर्धारण पत्रावली में क्रय सूची की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 69,50,496.49/- की 5% करयोग्य वस्तुओं की खरीद की गयी थी जबकि, कर निर्धारण आदेश में खरीद ₹ 30,43,003.09 कम दिखाते हुये केवल ₹ 39,07,493.40 की ही खरीद दिखाई गयी थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 54,27,026/- की बिक्री 5% की दर से किए जाने पर ₹ 2,71,351/- का कर आरोपित किया गया था। परन्तु, विक्रय सूची की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 56,51,751.80 की बिक्री 5% की दर से की गयी थी। इस प्रकार व्यापारी द्वारा कम दिखाई गयी खरीद ₹ 30,43,003.09 को बिक्री मानते हुये 5% की दर से ₹ 1,52,150/- तथा अंतरीय बिक्री ₹ 2,24,726/- पर 5% की दर से ₹ 11,236/-, इस प्रकार कुल **₹ 1,63,386/-** कर आरोपित नहीं किया गया था ।

आगे पत्रावली की जाँच में यह भी पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में करमुक्त वस्तुओं की ₹ 3,09,08,244/- की खरीद एवं ₹ 3,05,81,174.11/- की बिक्री दिखाई गयी थी जबकि विक्रय सूची अनुसार करमुक्त वस्तुओं की मात्र ₹ 18,20,754/- की ही बिक्री की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि प्रथम दृष्ट्या व्यापारी के अभिलेखों की जाँच पर व्यापारी की purchase list त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है, उक्त क्रय में आवश्यक विधिक कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरण अनुसार कर निर्धारण किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा कर मुक्त वस्तुओं की अधिक बिक्री दिखाये जाने के कारणो से अवगत नहीं कराया गया और न ही करमुक्त वस्तुओं के खरीद की सूची प्रस्तुत की गयी ।

(ii) फर्म का नाम: सर्वश्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, टनकपुर
कर-निर्धारण वर्ष: 2014-15
कर निर्धारण तिथि: 05.06.2017
टिन न॰ : 05005037041

उपरोक्त कर निर्धारण पत्रावली में क्रय सूची की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा ₹ 37935057.71 की 13.5% की दर से सीमेंट की खरीद की गयी थी। कर निर्धारण आदेश में ₹ 1952996.51 के क्रेडिट नोट प्राप्त होने के कारण शुद्ध सीमेंट की खरीद ₹ 35982061.20 दिखाई गयी थी। आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 1952996.51 की discounted purchase की गयी थी। कर निर्धारण आदेश में discounted purchase ₹ 1952996.51 को sale return (credit note) मानते हुये इसे खरीद में सम्मिलित नहीं किया गया था। चूँकि व्यापारी द्वारा ₹ 1952996.51 का क्रय किया गया था एवं विक्रय में ₹ 10,74,180/- की हानि दिखाई गयी थी, अतः व्यापारी द्वारा उक्त discounted खरीद ₹ 1952996.51 के विक्रय पर 13.5% की दर से ₹ 2,63,655/- कर आरोपणीय था जो कि नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी के द्वारा दर्शाये गए/जमा credit नोट के साथ आख्या प्राप्त कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पत्रावली पर संलग्न सूची अनुसार व्यापारी द्वारा ₹ 1952996.51 की discounted खरीद की गयी थी जिसे क्रेडिट नोट्स मानते हुये कर आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि के credit notes भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः धनराशि ₹ **4,27,041/-** (₹ **1,63,386/-** + ₹ **2,63,655/-**) के कर आरोपित न किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/CT-114/2017-18	-	-	01,02

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, पिथौरागढ** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः** शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	डा. रणवीर सिंह	डिप्टी कमिश्नर (04/17 से 03/18)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, पिथौरागढ** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजस्व क्षेत्र)